



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-01112025-267315
CG-KA-E-01112025-267315

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 698]
No. 698]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 30, 2025/ कार्तिक 8, 1947
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 30, 2025/ KARTIKA 8, 1947

केनरा बैंक
(मानव संसाधन व जन संपर्क विभाग)
(प्रधान कार्यालय)

अधिसूचना

बेंगलूरु, 30 अक्तूबर, 2025

फा. सं. एचआरएंडपीआरडब्ल्यू आईआरवी आईआरएंडपीएस 228ए पीपी 1543 2025 (ई).—बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 की उपधारा (2) के खंड (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केनरा बैंक के निदेशक मंडल ने भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श के बाद और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग के पत्र सं. 4/2/1/2022-IR दिनांक 13 मार्च, 2024 की पूर्वानुमति से, 1 नवम्बर, 2022 से लेकर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि तक भारत सरकार के अनुसरण में की गई या न की गई बातों के संबंध में, निम्नलिखित विनियम बनाता है, जो केनरा बैंक (कर्मचारियों का) पेंशन विनियम, 1995 में संशोधन करने हेतु हैं; अर्थात्: —

1. (1) इन विनियमों को केनरा बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. केनरा बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 (जिसे आगे उक्त विनियम कहा जाएगा) में, विनियम 2 में, खंड (डब्ल्यू) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“(डब्ल्यू) ‘त्यागपत्र देने वाला पूर्व कर्मचारी’ से तात्पर्य ऐसे कर्मचारी होगा, जो -

- (a) 1 जनवरी, 1986 को या उसके बाद बैंक की सेवा में था;
- (b) 1 अप्रैल, 2010 से पूर्व बैंक में शामिल हुआ था;
- (c) 26 अप्रैल, 2010 को या उससे पूर्व बैंक की सेवाओं से त्यागपत्र दे चुका हो ; और
- (d) अन्यथा बैंक की सेवा में रहते हुए पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र था।”

3. उक्त विनियमों के विनियम 3 में, उप-विनियम (14) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“(15) वह कर्मचारी, जो विनियम 2 के खंड (डब्ल्यू) में परिभाषित ‘त्यागपत्र देने वाला पूर्व कर्मचारी’ की परिभाषा को पूरा करता है और जिसने बैंक को वह सम्पूर्ण भविष्य निधि में बैंक का अंशदान (उस पर संचित ब्याज सहित), जो उसे इस्तीफा देने के समय या बाद में प्राप्त हुआ था, वापस करने पर सहमति दी है, तथा बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में, बैंक द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर एक वचनबंध दिया है।”

4. उक्त विनियमों के विनियम 22 में, उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“यह उपबंधित किया जाता है कि यदि कोई ‘त्यागपत्र देने वाला पूर्व कर्मचारी’, जैसा कि विनियम 2 के खंड (डब्ल्यू) में परिभाषित है और जो विनियम 3 के उपविनियम (15) में निहित शर्तों को पूरा करता है, तो उसका त्यागपत्र उसकी पूर्व सेवा के जब्ती का कारण नहीं बनेगा।”

5. उक्त विनियमों के विनियम 29 में, -

- (i) उप-विनियम (1) में, तृतीय परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

“यह भी उपबंधित किया जाता है कि ‘त्यागपत्र देने वाला पूर्व कर्मचारी’, जैसा कि विनियम 2 के खंड (डब्ल्यू) में परिभाषित है और जो विनियम 3 के उपविनियम (15) में उल्लिखित शर्तों का पालन करता है, वह भी पेंशन का हकदार होगा, यदि उसने आवश्यक सेवा अवधि पूरी की हो।”

- (ii) उप-विनियम (5) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

“यह उपबंधित किया जाता है कि विनियम 2 के खंड (डब्ल्यू) में परिभाषित ‘त्यागपत्र देने वाला पूर्व कर्मचारी’ ऐसी सेवा अवधि की वृद्धि के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा।”

6. उक्त विनियमों के विनियम 36 में, खंड (जी) के बाद निम्नलिखित खंड को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“(एच) पाँच हजार पचहत्तर रुपये प्रतिमाह ऐसे कर्मचारी के संबंध में जो 1 नवम्बर, 2022 या उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो (आंशिक समय कर्मचारी को छोड़कर); एक-तिहाई वेतनमान पर कार्य करने वाले अंशकालिक

कर्मचारी के लिए 1,700 रुपये प्रतिमाह; आधे वेतनमान पर कार्य करने वाले अंशकालिक कर्मचारी के लिए 2,547 रुपये प्रतिमाह; और तीन-चौथाई वेतनमान पर कार्य करने वाले अंशकालिक कर्मचारी के लिए 3,820 रुपये प्रतिमाह, बशर्ते कि अंशकालिक कर्मचारी ने 1 नवम्बर, 2022 या उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो।”

7. उक्त विनियमों के विनियम 39 में, उप-विनियम (1) में, खंड (सी) में, परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“यह भी उपबंधित किया जाता है कि यदि कोई ‘त्यागपत्र देने वाला पूर्व कर्मचारी’, जैसा कि विनियम 2 के खंड (डब्ल्यूए) में परिभाषित है, जिसकी मृत्यु हो गई है, तो उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि उक्त कर्मचारी ने विनियम 29 के उपविनियम (1) के अंतर्गत आवश्यक सेवा अवधि पूरी की हो और (मृत्यु से पूर्व) उसने या उसके परिवार के किसी सदस्य ने बैंक को भविष्य निधि में बैंक का संपूर्ण अंशदान (संचित ब्याज सहित), जो त्यागपत्र देते समय या बाद में प्राप्त हुआ था, वापस करने पर सहमति दी हो और बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में वचनबंध दी हो।”

8. उक्त विनियमों के विनियम 40 के उप-विनियम (1) में,—

(i) खंड (बी) में, प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्: —

“यह उपबंधित किया जाता है कि यदि पुत्र या पुत्री (जिसमें विधवा या तलाकशुदा पुत्री शामिल है) सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरी या स्वरोजगार से 18,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक अर्जित करने लगते हैं, तो उन्हें पारिवारिक पेंशन देय नहीं होगी।”

(ii) खंड (सी) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

“(सी) माता-पिता के मामले में, यदि माता-पिता में से किसी एक की या दोनों की संयुक्त आय सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरी या स्वरोजगार आदि से 18,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक हो जाती है, तो पारिवारिक पेंशन देय नहीं होगी।”

9. उक्त विनियमों के विनियम 41 में, उप-विनियम (1) में, परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“यह भी उपबंधित किया जाता है कि ‘त्यागपत्र देने वाला पूर्व कर्मचारी’, जैसा कि विनियम 2 के खंड (डब्ल्यूए) में परिभाषित है और जो विनियम 3 के उपविनियम (15) की शर्तों का पालन करता है, अपनी पेंशन का संराशीकरण प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।”

10. विनियम 55 में, “अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक” शब्दों के स्थान पर “प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

11. उक्त विनियमों में, परिशिष्ट-II के स्थान पर निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:-

“परिशिष्ट-II”
(विनियम 37 देखें)

मूल पेंशन पर महंगाई राहत इस प्रकार होगी:

- (1) उन कर्मचारियों के मामले में जो कामगार संवर्ग में थे और जो 1 जनवरी, 1986 को या उसके बाद, लेकिन 1 नवंबर, 1992 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, और उन कर्मचारियों के मामले में, जो अधिकारी संवर्ग में थे और जो 1 जनवरी, 1986 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई, 1993 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, महंगाई राहत, $1960 = 100$ श्रृंखला में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 600 अंकों से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि या गिरावट (जैसा भी मामला हो) के लिए वसूली योग्य होगी। प्रत्येक उक्त 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या गिरावट की गणना निम्नलिखित तालिका में प्रदान की गई विधि से की जाएगी, अर्थात्:-

तालिका

क्र.सं.	प्रति माह मूल पेंशन का वेतनमान	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(1)	(2)	(3)
1.	रु.1250 तक	0. 0.67 प्रतिशत
2.	रु.1251 से रु.2000 तक	रु.1250 का 0.67 प्रतिशत + रु.1250 से अधिक मूल पेंशन का 0.55 प्रतिशत
3.	रु.2001 से रु.2130 तक	रु.1250 का 0.67 प्रतिशत + रु.2000 और रु.1250 के बीच के अंतर का 0.55 प्रतिशत + रु.2000 से अधिक मूल पेंशन का 0.33 प्रतिशत
4.	रु.2130 से अधिक	रु.1250 का 0.67 प्रतिशत + रु.2000 और रु.1250 के बीच के अंतर का 0.55 प्रतिशत + रु.2130 और रु.2000 के बीच के अंतर का 0.33 प्रतिशत + रु.2130 से अधिक मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत:

बशर्ते कि 1 अक्टूबर, 2023 से, $1960 = 100$ श्रृंखला में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 600 अंक से अधिक प्रति स्लैब पर 0.67 प्रतिशत की एक समान दर से महंगाई राहत देय होगी:

बशर्ते कि 1 अक्टूबर, 2023 से, उपरोक्त तालिका में दी गई महंगाई राहत के अतिरिक्त, नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट अनुग्रह राशि भी देय होगी।

तालिका

क्र.सं.	मूल पेंशन	अनुग्रह राशि
(1)	(2)	(3)
1.	रु.1250/- तक	रु.800/- प्रति माह
2.	रु.1251/- से रु.2000/- तक	रु.450/- प्रति माह

- (2) उन कर्मचारियों के मामले में जो कामगार संवर्ग में हैं और जो 1 नवंबर, 1992 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हों, और उन कर्मचारियों के मामले में जो अधिकारी संवर्ग में हैं और जो 1 जुलाई, 1993 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हों, महंगाई राहत, 1960 = 100 श्रृंखला में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 1148 अंकों से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि के लिए देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी। प्रत्येक उक्त 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या गिरावट की गणना निम्नलिखित तालिका में प्रदान की गई विधि से की जाएगी, अर्थात:-

तालिका

क्र.सं.	प्रति माह मूल पेंशन का वेतनमान	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(1)	(2)	(3)
1.	रु.2400 रुपये तक	0.35 प्रतिशत
2.	रु.2401 से रु.3850 तक	रु.2400 का 0.35 प्रतिशत + रु.2400 से अधिक मूल पेंशन का 0.29 प्रतिशत
3.	रु.3851 से रु.4100 तक	रु.2400 का 0.35 प्रतिशत + रु.3850 और रु.2400 के बीच के अंतर का 0.29 प्रतिशत + रु.3850 से अधिक मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत
4.	रु.4100 से अधिक	रु.2400 का 0.35 प्रतिशत + रु.3850 और रु.2400 के बीच के अंतर का 0.29 प्रतिशत + रु.4100 और रु.3850 के बीच के अंतर का 0.17 प्रतिशत + रु.4100 से अधिक मूल पेंशन का 0.09 प्रतिशत:

बशर्ते कि 1 अक्टूबर, 2023 से, औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1148 अंकों से अधिक की दर पर 0.35 प्रतिशत प्रति स्लैब की एक समान दर से महंगाई राहत देय होगी। यह दर 1960=100 श्रृंखला में लागू होगी:

इसके अलावा, बशर्ते कि 1 अक्टूबर, 2023 से, उपरोक्त तालिका में दी गई महंगाई राहत के अतिरिक्त, नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट अनुग्रह राशि भी देय होगी।

तालिका

क्र.सं.	मूल पेंशन	अनुग्रह राशि
(1)	(2)	(3)
1.	रु. 2400/- तक	रु. 800/- प्रति माह
2.	रु. 2401/- से रु.3850/- तक	रु. 450/- प्रति माह

- (3) 1 अप्रैल, 1998 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मामले में, 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1616 अंकों से ऊपर प्रत्येक 4

अंकों की प्रत्येक वृद्धि के लिए महंगाई राहत देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी। उक्त प्रत्येक 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की गणना निम्नलिखित तालिका में दी गई विधि से की जाएगी, अर्थात्:-

तालिका

क्र.सं.	प्रति माह मूल पेंशन का मान	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(1)	(2)	(3)
1.	रु. 3380 तक	0.25 प्रतिशत
2.	रु. 3381 रुपये से रु. 5420 तक	रु. 3380 का 0.25 प्रतिशत + रु. 3380 से अधिक मूल पेंशन का 0.21 प्रतिशत
3.	रु. 5421 से रु. 5770 तक	रु. 3380 का 0.25 प्रतिशत + रु. 5420 और रु. 3380 के बीच के अंतर का 0.21 प्रतिशत + रु. 5420 से अधिक मूल पेंशन का 0.12 प्रतिशत
4.	रु. 5770 से अधिक	रु. 3380 का 0.25 प्रतिशत + रु. 5420 और रु. 3380 के बीच के अंतर का 0.21 प्रतिशत + रु. 5770 और रु. 5420 के बीच के अंतर का 0.12 प्रतिशत + रु. 5770 से अधिक मूल पेंशन का 0.06 प्रतिशत:

वर्शते कि 1 मई, 2005 से, उन कर्मचारियों के मामले में जो 1 अप्रैल, 1998 को या उसके बाद किन्तु 31 अक्टूबर, 2002 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हो, 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1684 अंकों से ऊपर प्रत्येक 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि के लिए महंगाई राहत देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी। उक्त प्रत्येक 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की गणना निम्नलिखित तालिका में दी गई विधि के अनुसार की जाएगी, अर्थात्:-

तालिका

क्र.सं.	प्रति माह मूल पेंशन का वेतनमान	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(1)	(2)	(3)
1.	रु. 3550 तक	0.24 प्रतिशत
2.	रु. 3551 से रु. 5650 तक	रु. 3550 का 0.24 प्रतिशत + रु. 3550 से अधिक मूल पेंशन का 0.20 प्रतिशत
3.	रु. 5651 से रु. 6010 तक	रु. 3550 का 0.24 प्रतिशत + रु. 5650 और रु. 3550 के बीच के अंतर का 0.20 प्रतिशत और रु. 5650 से अधिक मूल पेंशन का 0.12 प्रतिशत
4.	रु. 6010 से अधिक	रु. 3550 का 0.24 प्रतिशत + रु. 5650 और रु. 3550 के बीच के अंतर का 0.20 प्रतिशत + रु. 6010 और रु. 5650 के बीच के

	अंतर का 0.12 प्रतिशत + रु. 6010 से अधिक मूल पेंशन का 0.06 प्रतिशत:
--	--

बशर्ते कि 1 अक्टूबर, 2023 से, औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1684 अंकों से अधिक की दर पर 0.24 प्रतिशत प्रति स्लैब की एक समान दर से महंगाई राहत देय होगी। यह 1960=100 श्रृंखला में लागू होगी:

बशर्ते कि 1 अक्टूबर, 2023 से, उपर्युक्त तालिका में दी गई महंगाई राहत के अतिरिक्त, नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट अनुग्रह राशि भी देय होगी।

तालिका

क्र.सं.	मूल पेंशन	अनुग्रह राशि
(1)	(2)	(3)
1.	रु. 3550/- रुपये तक	रु. 800/- प्रति माह
2.	रु. 3551/- से रु.5650/- तक	रु. 450/- प्रति माह

- (4) 1 मई, 2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में, 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 2288 अंकों से ऊपर प्रत्येक 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि के लिए महंगाई राहत देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी। प्रत्येक उक्त 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की गणना मूल पेंशन के 0.18 प्रतिशत की दर से की जाएगी:

परंतु 1 मई, 2005 से, 1 नवंबर, 2002 को या उसके बाद किन्तु 30 अप्रैल, 2005 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संबंध में, इस खंड के अनुसार महंगाई राहत देय होगी:

बशर्ते कि 1 नवंबर, 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संबंध में, 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 2836 अंकों से ऊपर प्रत्येक 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि के लिए महंगाई राहत देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी। उक्त प्रत्येक 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी मूल पेंशन के 0.15 प्रतिशत की दर से गणना की जाएगी:

यह भी प्रावधान है कि 1 नवंबर, 2012 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संबंध में, 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 4440 अंकों से ऊपर प्रत्येक 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि के लिए महंगाई राहत देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी। उक्त प्रत्येक 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी मूल पेंशन के 0.10 प्रतिशत की दर से गणना की जाएगी:

बशर्ते कि 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संबंध में, 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 6352 अंकों से ऊपर प्रत्येक 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि के लिए महंगाई राहत देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी। उक्त प्रत्येक 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी मूल पेंशन के 0.07 प्रतिशत की दर से गणना की जाएगी:

बशर्ते कि 1 नवंबर, 2022 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में, औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार 2016=100 के तिमाही औसत में 123.03 अंकों से अधिक की वृद्धि या गिरावट के प्रत्येक परिवर्तन के लिए मूल पेंशन पर सूचकांक के प्रति प्रतिशत बिंदु पर 1 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत देय होगी।

- (5) महंगाई राहत 1 फरवरी से प्रारंभ होकर 31 जुलाई को समाप्त होने वाली छमाही के लिए पिछले वर्ष के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह के लिए प्रकाशित सूचकांक आंकड़ों के त्रैमासिक औसत पर देय होगी और 1 अगस्त से प्रारंभ होकर 31 जनवरी को समाप्त होने वाली छमाही के लिए उसी वर्ष के अप्रैल, मई और जून माह के लिए प्रकाशित सूचकांक आंकड़ों के त्रैमासिक औसत पर देय होगी।
- (6) पारिवारिक पेंशन, अशक्त पेंशन और अनुकंपा भत्ते के मामले में, महंगाई राहत ऊपर उल्लिखित दरों के अनुसार देय होगी।
- (7) पेंशन के संराशीकरण के बाद भी पूरी मूल पेंशन पर महंगाई राहत देय होगी।
- (8) अतिरिक्त पेंशन पर महंगाई राहत देय नहीं होगी।
- (9) ऐसे पेंशनभोगी जिनकी मूल पेंशन न्यूनतम पेंशन से कम है, लेकिन मूल पेंशन और अतिरिक्त पेंशन का योग न्यूनतम पेंशन से अधिक है, उन्हें न्यूनतम पेंशन पर लागू महंगाई राहत दी जाएगी।”

12. उक्त विनियमों में, परिशिष्ट-III के स्थान पर निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“परिशिष्ट-III
(विनियम 39 देखें)

1 अप्रैल, 2021 से पारिवारिक पेंशन की सामान्य दरें निम्नानुसार होंगी:

- (a) अंशकालिक कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों के संबंध में, जो कामगार वर्ग में थे और 1 नवम्बर, 1992 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए, या जो अधिकारी वर्ग में थे और 1 जुलाई, 1993 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए

क्र.सं.	प्रति माह का वेतनमान	मासिक पारिवारिक पेंशन की राशि
(1)	(2)	(3)
1.	रु. 1500 तक	मूल पारिवारिक पेंशन का हिस्सा का कुल वेतन का 30 प्रतिशत होगा, तथा भविष्य निधि में योगदान योग्य भत्तों का 30 प्रतिशत (महंगाई भत्ता को छोड़कर), अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम 375 रुपये प्रति माह होगा।
2.	रु.1501 से रु. 3000 तक	मूल पारिवारिक पेंशन का हिस्सा का कुल वेतन का 30 प्रतिशत होगा, तथा भविष्य निधि में योगदान योग्य भत्तों का 30 प्रतिशत (महंगाई भत्ता को छोड़कर), अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम 450 रुपये प्रति माह होगा।
3.	रु. 3000 से अधिक	मूल पारिवारिक पेंशन का हिस्सा का कुल वेतन का 30 प्रतिशत होगा, तथा भविष्य निधि में योगदान योग्य भत्तों का 30 प्रतिशत (महंगाई भत्ता को छोड़कर), अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम रु. 600 प्रति माह होगा।

- (b) अंशकालिक कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों के संबंध में, जो कामगार वर्ग में थे और 1 नवम्बर, 1992 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए, या जो अधिकारी वर्ग में थे और 1 जुलाई, 1993 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए

क्र.सं.	प्रति माह का वेतनमान	मासिक पारिवारिक पेंशन की राशि
(1)	(2)	(3)
1.	रु. 2870 तक	मूल पारिवारिक पेंशन का हिस्सा का कुल वेतन का 30 प्रतिशत होगा, तथा भविष्य निधि में योगदान योग्य भत्तों का 30 प्रतिशत (महंगाई भत्ता को छोड़कर), अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम रु. 720 प्रति माह होगा।
2.	रु. 2871 से रु. 5740 तक	मूल पारिवारिक पेंशन का हिस्सा का कुल वेतन का 30 प्रतिशत होगा, तथा भविष्य निधि में योगदान योग्य भत्तों का 30 प्रतिशत (महंगाई भत्ता को छोड़कर), अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम रु. 860 प्रति माह होगा।
3.	रु. 5740 से अधिक	मूल पारिवारिक पेंशन का हिस्सा का कुल वेतन का 30 प्रतिशत होगा, तथा भविष्य निधि में योगदान योग्य भत्तों का 30 प्रतिशत (महंगाई भत्ता को छोड़कर), अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम रु. 1150 प्रति माह होगा।

- (c) 1 अप्रैल, 1998 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों (अधिकारियों और कामगारों दोनों) के संबंध में:-

क्र.सं.	प्रति माह का वेतनमान	मासिक पारिवारिक पेंशन की राशि
(1)	(2)	(3)
1.	रु. 4040 तक	मूल पारिवारिक पेंशन का हिस्सा का कुल वेतन का 30 प्रतिशत होगा, तथा भविष्य निधि में योगदान योग्य भत्तों का 30 प्रतिशत (महंगाई भत्ता को छोड़कर), अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम रु. 1015 प्रति माह होगा।
2.	रु. 4041 से रु. 8080 तक	मूल पारिवारिक पेंशन का हिस्सा का कुल वेतन का 30 प्रतिशत होगा, तथा भविष्य निधि में योगदान योग्य भत्तों का 30 प्रतिशत (महंगाई भत्ता को छोड़कर), अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम रु. 1212 प्रति माह होगा।
3.	रु. 8080 से अधिक	मूल पारिवारिक पेंशन का हिस्सा का कुल वेतन का 30 प्रतिशत होगा, तथा भविष्य निधि में योगदान योग्य भत्तों का 30 प्रतिशत (महंगाई भत्ता को छोड़कर), अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम रु. 1616 प्रति माह होगा।

बशर्ते कि 1 मई, 2005 से अंशकालिक कर्मचारियों के अलावा उन कर्मचारियों (अधिकारी और कामगार दोनों) के संबंध में, जो 1 अप्रैल, 1998 को या उसके बाद लेकिन 31 अक्टूबर, 2002 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हों, परिवार पेंशन की सामान्य दर निम्नानुसार होगी:-

क्र.सं.	प्रति माह का वेतनमान	मासिक पारिवारिक पेंशन की राशि
(1)	(2)	(3)
1.	रु. 4210 तक	मूल पारिवारिक पेंशन का हिस्सा का कुल वेतन का 30 प्रतिशत होगा, तथा भविष्य निधि में योगदान योग्य भत्तों का 30 प्रतिशत (महंगाई भत्ता को छोड़कर), अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम रु.1056 प्रति माह होगा।
2.	रु. 4211 से रु. 8420 तक	मूल पारिवारिक पेंशन का हिस्सा का कुल वेतन का 30 प्रतिशत होगा, तथा भविष्य निधि में योगदान योग्य भत्तों का 30 प्रतिशत (महंगाई भत्ता को छोड़कर), अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम रु.1262 प्रति माह होगा।
3.	रु. 8420 से अधिक	मूल पारिवारिक पेंशन का हिस्सा का कुल वेतन का 30 प्रतिशत होगा, तथा भविष्य निधि में योगदान योग्य भत्तों का 30 प्रतिशत (महंगाई भत्ता को छोड़कर), अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम रु.1687 प्रति माह होगा।

(d) 1 मई, 2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों (अधिकारियों और कामगारों दोनों) के संबंध में:-

क्र.सं.	प्रति माह का वेतनमान	मासिक पारिवारिक पेंशन की राशि
(1)	(2)	(3)
1.	रु. 5720 तक	मूल पारिवारिक पेंशन का हिस्सा का कुल वेतन का 30 प्रतिशत होगा, तथा भविष्य निधि में योगदान योग्य भत्तों का 30 प्रतिशत (महंगाई भत्ता को छोड़कर), अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम रु.1435 प्रति माह होगा।
2.	रु. 5721 से रु.11,440 तक	मूल पारिवारिक पेंशन का हिस्सा का कुल वेतन का 30 प्रतिशत होगा, तथा भविष्य निधि में योगदान योग्य भत्तों का 30 प्रतिशत (महंगाई भत्ता को छोड़कर), अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम रु.1715 प्रति माह होगा।
3.	रु.11,440 से अधिक	मूल पारिवारिक पेंशन का हिस्सा का कुल वेतन का 30 प्रतिशत होगा, तथा भविष्य निधि में योगदान योग्य भत्तों का 30 प्रतिशत (महंगाई भत्ता को छोड़कर), अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम रु.2292 प्रति माह होगा।

बशर्ते कि 1 मई, 2005 से, उन कर्मचारियों के संबंध में जो 1 नवम्बर, 2002 को या उसके पश्चात किन्तु 30 अप्रैल, 2005 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हों, पारिवारिक पेंशन की सामान्य दरें इस खंड के अनुसार होंगी।

- (e) 1 नवंबर, 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों (अधिकारियों और कामगारों दोनों) के संबंध में:-

क्र.सं.	प्रति माह का वेतनमान	मासिक पारिवारिक पेंशन की राशि
(1)	(2)	(3)
1.	रु.7090 तक	मूल पारिवारिक पेंशन का हिस्सा का कुल वेतन का 30 प्रतिशत होगा, तथा भविष्य निधि में योगदान योग्य भत्तों का 30 प्रतिशत (महंगाई भत्ता को छोड़कर), अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम रु.1779 प्रति माह होगा।
2.	रु.7091 से रु.14,180 तक	मूल पारिवारिक पेंशन का हिस्सा का कुल वेतन का 30 प्रतिशत होगा, तथा भविष्य निधि में योगदान योग्य भत्तों का 30 प्रतिशत (महंगाई भत्ता को छोड़कर), अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम रु. 2186 प्रति माह होगा।
3.	रु.14,180 से अधिक	मूल पारिवारिक पेंशन का हिस्सा का कुल वेतन का 30 प्रतिशत होगा, तथा भविष्य निधि में योगदान योग्य भत्तों का 30 प्रतिशत (महंगाई भत्ता को छोड़कर), अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम रु. 2841 प्रति माह होगा।

- (f) 1 नवंबर, 2012 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों (अधिकारियों और कामगारों दोनों) के संबंध में: -

क्र.सं.	प्रति माह का वेतनमान	मासिक पारिवारिक पेंशन की राशि
(1)	(2)	(3)
1.	रु.11,100 तक	मूल पारिवारिक पेंशन का हिस्सा का कुल वेतन का 30 प्रतिशत होगा, तथा भविष्य निधि में योगदान योग्य भत्तों का 30 प्रतिशत (महंगाई भत्ता को छोड़कर), अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम रु. 2785 प्रति माह होगा।
2.	रु.11,101 से रु. 22,200 तक	मूल पारिवारिक पेंशन का हिस्सा का कुल वेतन का 30 प्रतिशत होगा, तथा भविष्य निधि में योगदान योग्य भत्तों का 30 प्रतिशत (महंगाई भत्ता को छोड़कर), अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम रु. 3422 प्रति माह होगा।
3.	रु. 22,200 से अधिक	मूल पारिवारिक पेंशन का हिस्सा का कुल वेतन का 30 प्रतिशत होगा, तथा भविष्य निधि में योगदान योग्य भत्तों का 30 प्रतिशत (महंगाई भत्ता को छोड़कर), अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम रु. 4448 प्रति माह होगा।

- (g) 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों (अधिकारियों और कामगारों दोनों) के संबंध में:-

क्र.सं.	प्रति माह का वेतनमान	मासिक पारिवारिक पेंशन की राशि
(1)	(2)	(3)
1.	रु. 15,880 तक	मूल पारिवारिक पेंशन का हिस्सा का कुल वेतन का 30 प्रतिशत होगा, तथा भविष्य निधि में योगदान योग्य भत्तों का 30 प्रतिशत (महंगाई भत्ता को छोड़कर), अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम रु. 3985 प्रति माह होगा।
2.	रु. 15,881 से रु. 31,760 तक	मूल पारिवारिक पेंशन का हिस्सा का कुल वेतन का 30 प्रतिशत होगा, तथा भविष्य निधि में योगदान योग्य भत्तों का 30 प्रतिशत (महंगाई भत्ता को छोड़कर), अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम रु. 4900 प्रति माह होगा।
3.	रु. 31,760 से अधिक	मूल पारिवारिक पेंशन का हिस्सा का कुल वेतन का 30 प्रतिशत होगा, तथा भविष्य निधि में योगदान योग्य भत्तों का 30 प्रतिशत (महंगाई भत्ता को छोड़कर), अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम रु. 6365 प्रति माह होगा।

- (h) 1 नवंबर, 2022 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों (अधिकारियों और कामगारों दोनों) के संबंध में:-

क्र.सं.	प्रति माह का वेतनमान	मासिक पारिवारिक पेंशन की राशि
(1)	(2)	(3)
1.	रु. 20,220 तक	मूल पारिवारिक पेंशन का हिस्सा का कुल वेतन का 30 प्रतिशत होगा, तथा भविष्य निधि में योगदान योग्य भत्तों का 30 प्रतिशत (महंगाई भत्ता को छोड़कर), अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम रु. 5075 प्रति माह होगा।
2.	रु. 20,221 से रु. 40,440 तक	मूल पारिवारिक पेंशन का हिस्सा का कुल वेतन का 30 प्रतिशत होगा, तथा भविष्य निधि में योगदान योग्य भत्तों का 30 प्रतिशत (महंगाई भत्ता को छोड़कर), अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम रु. 6240 प्रति माह होगा।
3.	रु. 40,440 से अधिक	मूल पारिवारिक पेंशन का हिस्सा का कुल वेतन का 30 प्रतिशत होगा, तथा भविष्य निधि में योगदान योग्य भत्तों का 30 प्रतिशत (महंगाई भत्ता को छोड़कर), अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम रु. 8105 प्रति माह होगा।

बी पी जाटव, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./433/2025-26]

नोट: केनरा बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या आईआरएस/पीईएन/2879/यूआरएच, दिनांक 29 सितंबर, 1995 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या एचआरडब्ल्यू आईआरएस 228ए:पीएस::1065:2024 (ई), दिनांक 8 जुलाई, 2024 द्वारा किया गया था।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इन विनियमों को पूर्वव्यापी रूप से प्रभाव में लाया गया है, ये इस संबंध में संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशिष्ट अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंकिंग संघ और बैंकों के स्तरीय कर्मचारी संघ और अधिकारी संघ के बीच समझौते और हस्ताक्षरित संयुक्त नोट के नियमों और शर्तों के अनुसार हैं। इसलिए, इस तरह के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

CANARA BANK

(Human Resources and Public Relations Wing)

(HEAD OFFICE)

NOTIFICATION

Bengaluru, the 30th October, 2025

F. No. HR&PRW IRV IR&PS 228A PP 1543 2025 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Canara Bank, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, except as respects things done or omitted to be done in pursuance of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, letter number 4/2/1/2022-IR, dated the 13th March, 2024, on and from the 1st November, 2022 till the date of publication of this notification in the Official Gazette, hereby makes the following regulations further to amend the Canara Bank (Employees') Pension Regulations, 1995, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Canara Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Canara Bank (Employees') Pension Regulations, 1995 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2, after clause (w), the following clause shall be inserted, namely:—
“(wa) ‘resigned former employee’ means an employee, who –
a. was in the services of the Bank on or after the 1st January, 1986;
b. joined the Bank before the 1st April, 2010;
c. has resigned from the services of the Bank on or before the 26th April, 2010; and
d. was otherwise eligible to join the pension scheme while in service of the Bank;”.
3. In regulation 3 of the said regulations, after sub-regulation (14), the following shall be inserted, namely:—

“(15) qualifies the definition of resigned former employee defined in clause (wa) of regulation 2 and has agreed to refund to the Bank the entire Banks' contribution to Provident Fund (along with accumulated interest thereon) received by him at the time of resignation or later, from the Bank and has given an undertaking as per the draft provided by the Bank within the time as stipulated by the Bank.”.

4. In regulation 22 of the said regulations, in sub-regulation (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that resignation by a resigned former employee defined in clause (wa) of regulation 2, and who also conforms to the conditions contained in sub-regulation (15) of regulation 3, shall not entail forfeiture of the past service.”.

5. In regulation 29 of the said regulations, –

(i) in sub-regulation (1), after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:–

“Provided also that a resigned former employee as defined in clause (wa) of regulation 2 and conforming to the conditions specified in sub-regulation (15) of regulation 3, shall also be entitled for pension provided he has completed such qualifying service.”;

(ii) in sub-regulation (5), the following proviso shall be inserted, namely: –

“Provided that the resigned former employee defined in clause (wa) of regulation 2 shall not be eligible for the benefit of increase of such qualifying service.”.

6. In regulation 36 of the said regulations, after clause (g), the following clause shall be inserted, namely: –

“(h) rupees five thousand and seventy-five per month in respect of an employee, other than a part-time employee, where the employee retired on or after the 1st November, 2022, rupees one thousand seven hundred per month in respect of a part-time employee drawing 1/3 scale of wages, rupees two thousand five hundred and forty seven per month in respect of part-time employee drawing ½ scale wages, and rupees three thousand eight hundred and twenty per month in respect of a part-time employee drawing ¾ scale wages, where the part-time employee retired on or after the 1st November, 2022.”.

7. In regulation 39 of the said regulations, in sub-regulation (1), in clause (c), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

“Provided further that family of a deceased resigned former employee as defined in clause (wa) of regulation 2 shall also be eligible for family pension provided that the deceased resigned former employee has completed required qualifying service in the Bank under sub-regulation (1) of regulation 29, subject to the condition that the deceased resigned former employee (before his death) or family member has agreed to refund to the Bank the entire Bank’s contribution to Provident Fund (along with accumulated interest thereon) received at the time of resignation or later, from the Bank and has given an undertaking as per the draft provided by the Bank within the time as stipulated by the Bank.”.

8. In regulation 40 of the said regulations, in sub-regulation (1),–

(i) in clause (b), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:–

“Provided that the family pension payable to son or daughter (including widowed or divorced) shall be discontinued or not be admissible when the eligible son or daughter starts earning a sum in excess of rupees eighteen thousand per month from employment in Government or Private Sector or self-employment etc.”;

(ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely: –

“(c) in the case of parents, the family pension shall be discontinued or not be admissible, if the income of one of the parents or the aggregate income of both the parents from employment in Government or Private Sector or self-employment, etc. exceeds rupees eighteen thousand per month.”.

9. In regulation 41 of the said regulations, in sub-regulation (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:–

“Provided further that a resigned former employee as defined in clause (wa) of regulation 2 and who conforms to conditions contained in sub-regulation (15) of regulation 3, shall not be eligible for commutation of his pension.”.

10. In regulation 55 of the said regulations, for the words “The Chairman and Managing Director”, the words “The Managing Director and Chief Executive Officer” shall be substituted.

11. In the said regulations, for Appendix – II, the following Appendix shall be substituted, namely:–

“Appendix-II

(See regulation 37)

Dearness relief on basic pension shall be as under:

- (1) In the case of employees who were in the workmen cadre and who retired on or after the 1st January, 1986, but before the 1st November, 1992, and in the case of employees, who were in the officers' cadre and who retired on or after the 1st January, 1986, but before the 1st July, 1993, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960 = 100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated in the manner provided in the following Table, namely:–

TABLE

Sl. No.	Scale of basic pension per month	Rate of dearness relief as a percentage of basic pension
(1)	(2)	(3)
1.	Upto Rs.1250	0.67 per cent.
2.	Rs.1251 to Rs.2000	0.67 per cent. of Rs.1250 plus 0.55 per cent. of basic pension in excess of Rs.1250
3.	Rs.2001 to Rs.2130	0.67 per cent. of Rs.1250 plus 0.55 per cent. of the difference between Rs. 2000 and Rs.1250 plus 0.33 per cent. of basic pension in excess of Rs. 2000
4.	Above Rs.2130	0.67 per cent. of Rs.1250 plus 0.55 per cent. the difference between Rs. 2000 and Rs.1250 plus 0.33 per cent. of the difference between Rs. 2130 and Rs.2000 plus 0.17 per cent. of basic pension in excess of Rs. 2130:

Provided that on and from the 1st October, 2023, dearness relief shall be payable at a uniform rate of 0.67 per cent. per slab over 600 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960 = 100:

Provided further that on and from the 1st October, 2023, in addition to the dearness relief provided in the Table above, ex-gratia amount as specified in the Table below shall also be payable.

TABLE

Sl. No.	Basic pension	Ex-gratia amount
(1)	(2)	(3)
1.	Upto Rs 1250/-	Rs 800/- per month
2.	From Rs 1251/- to Rs 2000/-	Rs 450/- per month

- (2) In the case of employees who are in workmen cadre and who retire on or after the 1st November, 1992, and in the case of employees who are in the officers' cadre, and who retire on or after the 1st July, 1993, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1148 points in the quarterly average of All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960 = 100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated in the manner provided in the following Table, namely:–

TABLE

Sl. No.	Scale of basic pension per month	Rate of dearness relief as a percentage of basic pension
(1)	(2)	(3)
1.	Upto Rs. 2400	0.35 per cent.
2.	Rs. 2401 to Rs. 3850	0.35 per cent. of Rs. 2400 plus 0.29 per cent. of basic pension in excess of Rs. 2400

3.	Rs. 3851 to Rs. 4100	0.35 per cent. of Rs. 2400 plus 0.29 per cent. of the difference between Rs. 3850 and Rs.2400 plus 0.17 per cent. of basic pension in excess of Rs. 3850
4.	above Rs. 4100	0.35 per cent. of Rs. 2400 plus 0.29 per cent. of the difference between Rs. 3850 and Rs. 2400 plus 0.17 per cent. of the difference between Rs. 4100 and Rs. 3850 plus 0.09 per cent. of basic pension in excess of Rs. 4100:

Provided that on and from the 1st October, 2023, dearness relief shall be payable at a uniform rate of 0.35 per cent. per slab over 1148 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100:

Provided further that on and from the 1st October, 2023, in addition to the dearness relief provided in the Table above, ex-gratia amount as specified in the Table below shall also be payable.

TABLE

Sl. No.	Basic pension	Ex-gratia amount
(1)	(2)	(3)
1.	Upto Rs 2400/-	Rs 800/- per month
2.	From Rs 2401/- to Rs 3850/-	Rs 450/- per month

- (3) In the case of employees who retire on or after the 1st April, 1998, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1616 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated in the manner provided in the following Table, namely:—

TABLE

Sl. No.	Scale of basic pension per month	Rate of dearness relief as a percentage of basic pension
(1)	(2)	(3)
1.	Upto Rs. 3380	0.25 per cent.
2.	Rs. 3381 to Rs.5420	0.25 per cent. of Rs.3380 plus 0.21 per cent. of basic pension in excess of Rs. 3380
3.	Rs. 5421 to Rs. 5770	0.25 per cent. of Rs. 3380 plus 0.21 per cent. of the difference between Rs. 5420 and Rs. 3380 plus 0.12 per cent. of basic pension in excess of Rs. 5420
4.	Above Rs. 5770	0.25 per cent. of Rs. 3380 plus 0.21 per cent. of the difference between Rs. 5420 and Rs.3380 plus 0.12 per cent. of the difference between Rs. 5770 and Rs.5420 plus 0.06 per cent. of basic pension in excess of Rs. 5770:

Provided that on or from the 1st May, 2005 in the case of employees, who retire on or after the 1st April 1998 but on or before the 31st October, 2002, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1684 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated in the manner provided in the following Table, namely:—

TABLE

Sl. No.	Scale of basic pension per month	Rate of dearness relief as a percentage of basic pension
(1)	(2)	(3)
1.	Upto Rs.3550	0.24 per cent.
2.	Rs. 3551 to Rs.5650	0.24 per cent. of Rs. 3550 plus 0.20 per cent. of basic pension in excess of Rs. 3550
3.	Rs. 5651 to Rs.6010	0.24 per cent. of Rs. 3550 plus 0.20 per cent. of the difference between Rs. 5650 and Rs. 3550 plus 0.12 per cent. of basic pension in excess of Rs. 5650
4.	Above Rs. 6010	0.24 per cent. of Rs. 3550 plus 0.20 per cent. of the difference between Rs. 5650 and Rs. 3550 plus 0.12 per cent. of the difference between Rs. 6010 and Rs. 5650 plus 0.06 per cent. of basic pension in excess of Rs. 6010:

Provided further that on and from the 1st October, 2023, dearness relief shall be payable at a uniform rate of 0.24 per cent. per slab over 1684 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100:

Provided also that on and from the 1st October, 2023, in addition to the dearness relief provided in the Table mentioned above, ex-gratia amount as specified in the Table below shall also be payable.

TABLE

Sl. No.	Basic pension	Ex-gratia amount
(1)	(2)	(3)
1.	Upto Rs 3550/-	Rs 800/- per month
2.	From Rs 3551/- to Rs 5650/-	Rs 450/- per month

- (4) In respect of employees who retire on or after the 1st May, 2005, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.18 percent. of basic pension:

Provided that on and from the 1st May, 2005, in respect of employees who retired on or after the 1st November, 2002 but on or before the 30th April, 2005, dearness relief shall be payable in terms of this clause:

Provided further that in respect of employees who retired on or after the 1st November, 2007, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.15 percent. of basic pension:

Provided also that in respect of employees who retired on or after the 1st November, 2012, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 4440 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.10 percent. of basic pension:

Provided also that in respect of employees who retired on or after the 1st November, 2017, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 6352 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.07 percent. of basic pension:

Provided also that in respect of employees who retired on or after the 1st November, 2022, dearness relief shall be payable at 1 per cent. per percentage point of Index on the Basic pension for every variation of rise or fall over 123.03 points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index for Industrial Workers Base 2016=100.

- (5) Dearness relief shall be payable for the half year commencing from the 1st February and ending with the 31st July on the quarterly average of the index figures published for the months of October, November and December of the previous year and for the half year commencing from the 1st August and ending with the 31st January on the quarterly average of the index figures published for the months of April, May and June of the same year.
 - (6) In the case of family pension, invalid pension and compassionate allowance, dearness relief shall be payable in accordance with the rates mentioned above.
 - (7) Dearness relief will be allowed on full basic pension even after commutation.
 - (8) Dearness relief is not payable on additional pension.
 - (9) Pensioner whose basic pension is less than minimum pension but the aggregate of basic pension and additional pension is more than the minimum pension shall draw dearness relief as applicable to minimum pension.”.
12. In the said regulations, for Appendix-III, the following Appendix shall be substituted, namely: —

“Appendix-III
(Seeregulation 39)

On and from the 1st April, 2021, the ordinary rates of family pension shall be as under:

- (a) In respect of employees other than part-time employees, where the employee was in the workmen cadre and retired before the 1st November, 1992 or where the employee was in the officers’ cadre and retired before the 1st July, 1993:—

Sl. No.	Scale of pay per month	Amount of monthly family pension
(1)	(2)	(3)
1.	Upto Rs.1500	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs. 375 per month.
2.	Rs.1501 to Rs. 3000	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 450 per month.
3.	Above Rs. 3000	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowance, which are counted for making contribution to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 600 per month.

- (b) In respect of employees other than part-time employees, where the employee was in the workmen cadre and retired on or after the 1st November, 1992 or where the employee was in the officers' cadre and retired on or after the 1st July, 1993:—

Sl. No.	Scale of pay per month	Amount of monthly family pension
(1)	(2)	(3)
1.	Upto Rs. 2870	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.720 per month.
2.	Rs. 2871 to Rs. 5740	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.860 per month.
3.	Above Rs. 5740	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.1150 per month.

- (c) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st April, 1998:—

Sl. No.	Scale of pay per month	Amount of monthly family pension
(1)	(2)	(3)
1.	Upto Rs. 4040	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 1015 per month.
2.	Rs. 4041 to Rs. 8080	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 1212 per month.
3.	Above Rs. 8080	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.1616 per month:

Provided that on and from the 1st May, 2005 in respect of the employees (both officers and workmen), other than part time employees, who retired on or after the 1st April, 1998 but on or before the 31st October, 2002, the ordinary rate of family pension shall be as under:—

Sl. No.	Scale of pay per month	Amount of monthly family pension
(1)	(2)	(3)
1.	Up to Rs.4210	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.1056 per month.
2.	Rs.4211 to Rs.8420	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.1262 per month.
3.	Above Rs.8420	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.1687 per month.

- (d) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st May, 2005:—

Sl. No.	Scale of pay per month	Amount of monthly family pension
(1)	(2)	(3)
1.	Upto Rs. 5720	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum Rs. 1435 per month.
2.	Rs. 5721 to Rs. 11,440	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs. 1715 per month.
3.	Above Rs. 11,440	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs .2292/- per month:

Provided that on and from the 1st May, 2005, in respect of employees who retired on or after the 1st November, 2002 but on or before the 30th April, 2005, ordinary rates of family pension shall be in terms of this clause.

- (e) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st November, 2007:—

Sl. No.	Scale of pay per month	Amount of monthly family pension
(1)	(2)	(3)
1.	Upto Rs.7090	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.1779 per month.
2.	Rs.7091 to Rs.14,180	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs. 2186 per month.
3.	Above Rs.14,180	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 2841 per month.

- (f) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st November, 2012:—

Sl. No.	Scale of pay per month	Amount of monthly family pension
(1)	(2)	(3)
1.	Upto Rs.11,100	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 2785 per month.
2.	Rs.11,101 to Rs. 22,200	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs. 3422 per month.
3.	Above Rs.22,200	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 4448 per month.

- (g) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st November, 2017:—

Sl. No.	Scale of pay per month	Amount of monthly family pension
(1)	(2)	(3)
1.	Upto Rs. 15,880	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.3985 per month.
2.	Rs. 15,881 to Rs. 31,760	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs. 4900 per month.
3.	Above Rs. 31,760	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 6365 per month.

- (h) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st November, 2022:—

Sl. No.	Scale of pay per month	Amount of monthly family pension
(1)	(2)	(3)
1.	Upto Rs. 20,220	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contribution to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 5075 per month.
2.	Rs. 20,221 to Rs. 40,440	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contribution to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs. 6240 per month.

3.	Above Rs. 40,440	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contribution to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 8105 per month.”.
----	---------------------	---

B P JATAV, Chief General Manger

[ADVT.-III/4/Exty./433/2025-26]

Note: The Canara Bank (Employees') Pension Regulations, 1995 were published in the Gazette of India, Part III, section 4 *vide* notification number IRS/PEN/2879/URH, dated the 29th September, 1995 and was last amended *vide* notification number HRW IRS 228A:PS:1065:2024 (E), dated the 8th July, 2024.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The seregulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the settlements and Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level workmen Unions and Officers' Associations of the banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.